प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 06 जून ~~मई~~, 2025

विषयः शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश/नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/पी0जी0-2025/1008 दिनांक 08.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) पी0जी0 2025, एवं नीट एम0डी0एस0-2025 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटे की स्नातकोत्तर सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-

नीट पी॰जी॰-2025 एवं नीट एम॰डी॰एस॰-2025 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण/धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। यू॰पी॰ नीट पी॰जी॰-2025 की काउंसिलिंग हेतु मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा एन॰आई॰सी॰ के सहयोग से तैयार की जाए।

पी॰एम॰एच॰एस॰ संवर्ग के एम॰बी॰बी॰एस॰ डिग्रीधारक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु मा॰ उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-8047/2016 डा0 दिनेश सिंह चौहान बनाम उ॰प्र॰ राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 के कम में भारांक (Weightage) दिया जायेगा। नीट पी॰जी॰-2025 की काउंसिलिंग हेतु एम॰डी॰/एम॰एस॰/ डिप्लोमा के

पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों को नियमानुसार भारांक (Weightage) प्रदान करते हुये, तैयार करायी जाएगी। डी०एन०बी० तथा एम०डी०एस० के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर तैयार की जायेगी।

यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के०जी०एम०यू०, लखनऊ, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

2. अर्हताएं (Eligibility) -

i. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने, नीट पी०जी०-2025 एवं नीट एम०डी०एस०-2025 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

ii. नीट एम०डी०एस० 2025 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इण्टर्नशिप 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो रही हो।

iii. नीट पी०जी०-2025 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0) की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इण्टर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण हो रही हो।

iv. राजकीय क्षेत्र की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्टेट कोटे की उपलब्ध सीटों पर काउन्सिलिंग हेतु, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, एम्स रायबरेली एवं एम्स गोरखपुर से एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य सभी मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों से एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

v. निजी क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों पर काउन्सिलिंग हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशों के सभी मेडिकल कॉलेजों / डेण्टल कालेजों से एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

vi. उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०बी०ई०एम०एस० द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट-ऑफ स्कोर के अनुसार यू०पी० नीट पी०जी०-2025 एवं नीट एम०डी०एस०-2025 की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।

vii. यू०पी० नीट पी०जी०-2025 एवं नीट एम०डी०एस०-2025 की काउंसिलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०बी०ई०एम०एस० द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर के अनुसार ही काउंसिलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को एन०बी०ई०एम०एस० द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट-ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

viii. ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय नागरिक या भारत के मूल निवासी हों, जिन्होंने भारत से बाहर के मेडिकल कालेजों से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त किया है, उन्हें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी०जी०-2025 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.10 में दिये गये निर्देशानुसार, एफ०एम०जी०ई० की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा उन्हें एन०एम०सी०/एम०सी०आई० या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ऐसे

अभ्यर्थियों की इण्टर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण होनी चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे।

ix. यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता मानदण्ड का निर्धारण नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी०जी०-2025 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.11 में दिये गये निर्देशानुसार होंगे। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे।

x. डा० सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा० नितिन कुमार व अन्य बनाम डा० राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 के अनुपालन में पी०एम०एच०एस० संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, उन्हें नियमानुसार भारांक प्रदान किया जायेगा तथा वह काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।

xi. डी०एन०बी० पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के In-Service अभ्यर्थी ही अर्ह होगे।

xii. ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, यदि यह यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग द्वारा उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करते हैं. तो इस दशा में राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग के अधिसूचना दिनांक 29.12.2023 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम-2023 के अध्याय-2 के बिन्दु-2.1 में निम्न व्यवस्था है-

"परीक्षा की अवधि सहित प्रशिक्षण की अवधि उन छात्रों के लिए दो वर्ष होगी, जिनके पास एक ही विषय में मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है।"

3. अनर्हताएं (Non-Eligibility)-

i. ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ii. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस० की परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर एवं उ०प्र० राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

iii. यू०पी० नीट पी०जी०-2024 के स्ट्रे वैकेन्सी एवं स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

4. पंजीकरण शुल्कः-

i. यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को https://upneet.gov.in पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

ii. प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग हेतु रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क देय होगा।

iii. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

iv. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

5. धरोहर धनराशि (Security Money):-

i. यू०पी० नीट पी०जी०-2025 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
   1. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र)
   2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र)
   3. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु रु० 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र)

ii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रु० 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।

iv. धरोहर धनराशि (Security Money) आनलाइन माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

v. **समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी, जिस खाते से उसका भुगतान किया गया है।**

6. आरक्षण व्यवस्था :-

i. प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों/ स्वशासी संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यकम की स्टेट कोटे की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः-

(क) **उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण**

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
ई०डब्लू०एस० श्रेणी के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

(ख) **क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण**

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी	05 प्रतिशत

ii. रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी उर्द्धवाधर (Vertical) श्रेणी में ही उपलब्ध होगा।

iii. स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कनवत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

iv. उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेगें।

v. प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में ऑल इण्डिया कोटा की सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्टेट कोटा की पी०जी० सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा तथा वह अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेगे।

vi. आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।

vii. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

viii. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी, **Director General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi** द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

ix. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

x. निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा, तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों पर ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा।

xi. धर्म सम्परिवर्तन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-429/बावन-4-98-33/98 दिनांक 28.10.1998 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो, को अधिकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, जो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है।

xii. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के धर्म सम्परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगें।

7. कांउसिलिंग एवं आवंटन प्रकियाः-

i. मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एम०सी०सी०), नई दिल्ली द्वारा नीट पी०जी०-2025 काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय सारणी में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा स्टेट कोटे की काउन्सिलिंग हेतु समय सारिणी पृथक से निर्गत की जायेगी।

ii. अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अर्ह होंगे।

iii. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।

iv. पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक्र की काउंसिलिंग में न भरे। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को आवंटित मेडिकल/डेण्टल कालेज / नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पुनः सम्पन्न करनी होगी। अन्यथा की दशा में पूर्व से आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

(क) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंगः-

i. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।

ii. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

(ख) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंगः-

i. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित/निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः घरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होगे।

iii. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के मूल अभिलेख भी वापस कर दिये जायेंगे।

<u>(ग) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंगः-</u>

i. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

iii. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

iv. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

v. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगीः-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR (PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	EWS (PwD)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

(घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के सम्बन्ध में:-

i. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हें यू०पी० नीट पी०जी० 2025 के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।

ii. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी०जी०-2025 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग/अन्य राज्यों की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।

iii. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो यू०पी० नीट पी०जी० के पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग के माध्यम से एम०डी०/एम०एस० अथवा डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में आवंटित/प्रवेशित है, वे स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु एम०डी०/एम०एस० अथवा डी०एन०बी० किसी भी पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग हेतु अहं नहीं होगें।

iv. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू० 3000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

v. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना आनिवार्य होगा।

vi. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

vii. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

viii. यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू०पी० नीट पी०जी० काउंसिलिंग 2026-27 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

8. प्रवेश प्रक्रियाः-

i. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेन्टल कालेजों / संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल कालेज /डेण्टल कालेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

ii. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / डेण्टल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

iii. निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर की सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

iv. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कालेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित नोडल सेन्टर (Nodal Centre) पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

v. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज अथवा नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

vi. राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा एन०आई०सी० के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। केवल पोर्टल पर अपडेट किये गये प्रवेश ही मान्य होंगे।

vii. प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण-पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

viii. काउन्सिलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा।

ix. एक राजकीय मेडिकल कालेज से दूसरे राजकीय मेडिकल कालेजों में पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को, पूर्व आवंटित कालेज द्वारा प्रवेश शुल्क को छोड़कर अन्य समस्त शुल्क वापस कर दिये जायेगे, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन आवंटित मेडिकल कालेज में निर्धारित समस्त शुल्क प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

9. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

i. त्याग-पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा।

ii. राजकीय मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग-पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एन०आई०सी० के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे।

(क) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंगः-

i. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणानार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 24 जुलाई 2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे से प्रारम्भ है, तो

अभ्यर्थी 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गमन (Free exit) की सुविधा होगी, अर्थात् अभ्यर्थी की सम्पूर्ण धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा। साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।

ii. प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ख) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंगः-

i. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।

ii. प्रथम/द्वितीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है. तो ऐसे अभ्यर्थियों पर तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ग) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंगः-

i. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

ii. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा साथ ही उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

iii. थम/द्वितीय/तृतीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्डः-

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देय होगी।

10. बॉण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में :-

(अ) **अनिवार्य शासकीय सेवा बॉण्ड** शासनादेश संख्या- 950/71-2-82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 यथासंशोधित के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी राजकीय मेडिकल कालेज, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, संस्थान तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बॉण्ड भराये जाने के पश्चात् तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) शासनादेश संख्या-1/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

11. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

यू०पी० नीट पी०जी० 2025 की कांउसिलिंग हेतु कांउसिलिंग बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा:-

1	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (पदेन)	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य
3	शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य / प्रोफेसर	सदस्य अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक श्रेणी
4	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित 03 चिकित्सा शिक्षक	सदस्य
5	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज के प्रतिनिधि	सदस्य
6	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अल्पसंख्यक संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, एन०आई०सी०, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

12. <u>काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-</u>

नीट पी०जी०-2025 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के प्रति मेडिकल कालेज से रू0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के प्रति डेण्टल कालेजों से रू0 1,00,000/- जमा कराया जायेगा।

काउंसिलिंग कार्य से सम्बन्धित समस्त व्यय यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, विधिक कार्य, वाहन, जलपान व अन्य प्रशासनिक मदों में होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति सी०पी०एम०टी० फण्ड से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त की जाएगी।

13. समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

14. यदि भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0) द्वारा भविष्य में अन्य कोई दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है, तो तद्नुसार उक्त आदेश में अपेक्षित संशोधन किया जायेगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
संयुक्त सचिव

Digitally signed by
PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: [illegible] 17:20:33

<u>संख्या एवं तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3) कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4) निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ।
5) निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7) निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
8) समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9) समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

11) निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

उप सचिव।